BHADOHI POLICE

प्रेस-नोट

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही **दिनांक-25.03.2025**

◆नकली तेल (फुड ऑयल) तैयार कर बड़ी कम्पनियों के ट्रेडमार्क की ब्रांडिंग कर बिक्री करने के अवैध कारोबार का भंडाफोड़

◆कम्पनियों के जांचकर्ता व पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान मिली महत्वपूर्ण सफलता

◆कॉपीराइट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर नकली ऑयल तैयार करने व बिक्री करने के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत

◆मौके से फॉर्चून का स्टीकर लगा हुआ तेल 148 बोतल, फॉर्चून लेवल 510 पीस, पतंजलि का लेवल लगा हुआ सरसों तेल 132 बोतल, रैपर पतंजलि 320 पीस तथा खाली डब्बा 430 पीस व ढक्कन 320 पीस किया गया जब्त

दिनांक 24.03.2025 को सायं विभिन्न फूड ऑयल कम्पनियों के अधिकृत जांचकर्ता द्वारा सूचना दिया गया कि थाना दुर्गागंज अंतर्गत ग्राम मसुधी में नकली फूड ऑयल तैयार कर बड़ी कंपनियों के ट्रेडमार्क की ब्रांडिंग कर बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना पर कंपनियों के जांचकर्ता व पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान ग्राम मसुधी स्थित मोहम्मद हनीफ सलमानी के मकान से नकली तेल तैयार कर बड़ी कंपनियों के ट्रेडमार्क की ब्रांडिंग कर बिक्री करने के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए मौके से फॉर्चून का स्टीकर लगा हुआ तेल 148 बोतल, फॉर्चून लेवल 510 पीस, पतंजलि का लेवल लगा हुआ सरसों तेल 132 बोतल, रैपर पतंजलि 320 पीस तथा खाली डब्बा 430 पीस व ढक्कन 320 पीस जब्त किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर कॉपीराइट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर नकली तेल तैयार करने व बिक्री करने के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी मोहम्मद हनीफ सलमानी पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी ग्राम मसुधी थाना दुर्गागंज जनपद भदोही के विरुद्ध मु0अ0सं0-30/202 धारा-63 कॉपीराइट अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है।